न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 21/2015

1 रतनी देवी उम्र 56 साल पत्नी स्व. रामकरण जाति खाती निवासी जयसिंहवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 वेदप्रकाश उम्र 37 साल दत्तक पुत्र नत्थू
2 मनोज कुमार उम्र 40 साल पुत्र ताराचन्द
3 आनन्द कुमार उम्र 30 साल पुत्र ताराचन्द्र
4 मु. चांदो उम्र 62 साल पत्नी स्व. ताराचन्द
जति खाती निवासीगण जयसिंहवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
5 मु. इन्दूबाला उम्र 32 साल पुत्री स्व. ताराचन्द स्त्री सुरेन्द्र जाति खाती निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.08.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमें
उनवानी इजराय प्रार्थना पत्र मु.रतनी देवी बनाम
नत्थू आदि मु.नं. 02/2013

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल प्रथम, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

-निर्णय-

दिनांकः– 01.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2013 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था। जो दिनांक 17.04.2001 को डिक्री हो चुका है। इस डिक्री की इजराय विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.07.2015 को इजराय का आवेदन स्वीकार कर लिया। इस इजराय आदेश के विरूद्ध दिनांक 13.07.2015 को रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन आदेश से विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रिव्यू आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। इजराय में पारित आदेश को विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना रिव्यू आवेदन स्वीकार कर इजराय का आदेश अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय ने रिव्यू आवेदन स्वीकार करने का युक्ति संगत कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2000–01 राज. (सप्ली.) पेज 180 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित इजराय का आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है। कैम्प कोर्ट में उपस्थिति की सूचना रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को नहीं दी गई थी। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट को सुने बिना इजराय का आदेश पारित किया है। इस पर रेस्पोडेन्ट ने रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से रिव्यू आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित इजराय का आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है। कैम्प कोर्ट में उपस्थिति की सूचना रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को नहीं दी गई थी। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट को सुने बिना इजराय का आदेश पारित किया है। इस पर रेस्पोडेन्ट ने रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से रिव्यू आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर